भारत का सर्वोच्च न्यायालय
उदय उमेश ललित, एस. रवीन्द्र भट्ट, सुधांशु धूलिया, जे.जे.
महारानी दीपिंदर कौर (मृत्यु के बाद से) लार्स के माध्यम से। और अन्य. - अपीलकर्ता
बनाम
राजकुमारी अमृत कौर और अन्य। - प्रतिवादी
विशेष अनुमति याचिका (सिविल) संख्या 9151-9153 2020 राजकुमारी अमृत कौर @ अमृत हरपाल सिंह के साथ - अपीलकर्ता बनाम महारानी दीपिंदर कौर (मृतक के बाद से) एलआर द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया। और अन्य. - प्रतिवादी विशेष अनुमति याचिका (सिविल) क्रमांक 10211-10213 2020 और भरत इंदर सिंह (मृतक) एलआर के माध्यम से - अपीलकर्ता बनाम महरवाल खेवाजी ट्रस्ट और अन्य। – प्रतिवादी विशेष अनुमति याचिका (सिविल) संख्या 11206-11208 2020 पर निर्णय: 07-09-2022

निर्णय :

उदय उमेश ललित, जे.

1. ये विशेष अनुमति याचिकाएं उच्च न्यायालय [1] [चंडीगढ़ में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय] द्वारा आरएसए नंबर 2006 ऑफ 2018 (ओ एंड एम), आरएसए नंबर 1418 में पारित सामान्य निर्णय और आदेश दिनांक 01.06.2020 से उत्पन्न हुई हैं। 2018 का (ओ एंड एम) और 2018 का आरएसए नंबर 2176 (ओ एंड एम)।

2. तात्कालिक मामलों में विवाद फरीदकोट राज्य के पूर्व शासक राजा हरिंदर सिंह द्वारा छोड़ी गई संपत्तियों के उत्तराधिकार से संबंधित है। पक्षों के बीच संबंध विवादित नहीं होने के कारण, सुविधा के लिए वंशावली चार्ट यहां निकाला जा सकता है।

<table>
<tr><td colspan="3"><u>वंशावली दर्शाने वाला चार्ट</u></td></tr>
<tr><td colspan="3">महाराजा ब्रिजिंदर सिंह (1918 में निधन)</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">महारानी मोहिंदर कौर
(मृत्यु 15.3.1991 को)</td></tr>
<tr><td colspan="2">राजा हरिंदर सिंह
(जन्म 29 जनवरी 1915 - मृत्यु 16 अक्टूबर 1989)
वसीयत करनोवाला</td><td>कंवर मंजीत इंदर सिंह
(मृतक) को दिनांक 25.9.1993 के आदेश द्वारा प्रतिवादी संख्या 5 के रूप में शामिल किय गया (सीएस संख्या 4193/21-8-2010 में एलआर के माध्यम से वादी भी)</td></tr>
<tr><td>नी नरिंदर कौर
सीयतकर्ता की पत्नी)
19.4.1986 को निधन)</td><td>टिक्का भारत इंदर सिंह
(मृतक के बाद से)</td><td>राजकुमारी देविंदर कौर (मुकदमे की सुनवाई के दौरान मृत्यु)</td></tr>
<tr><td></td><td>-अमरिंदर सिंह</td><td>राजकुमारी हेमिंदर कौर</td></tr>
<tr><td>जकुमारी अमृत कौर</td><td>महारानी दीपिंदर कौर
(आरएसए के लंबित रहने के</td><td>राजकुमारी महीपिंदर कौर</td></tr>
</table>

वादी- सीएस संख्या 73/23-7-2010)	दौरान मृत्यु हो गई) (प्रतिवादी क्रमांक 1)	(मुकदमे की सुनवाई के दौरान मृत्यु हो गई) (प्रतिवादी क्रमांक 2)
साधे चंद महताब		**टिक्का हरमोहिंदर सिंह** (मृत्यु 13.10.1981 को)
जय चंद महताब		**निशा केहर**

3. फरीदकोट राज्य के शासक के रूप में राजा हरिंदर सिंह ने 05.05.1948 को भारत सरकार के साथ एक समझौता किया और विलय पत्र निष्पादित किया, जिसके परिणामस्वरूप फरीदकोट राज्य का हिस्सा बनने वाला क्षेत्र भारतीय संघ का हिस्सा बन गया। पीईपीएसयू अनुबंध (प्रदर्श डी-6) राजा हरिंदर सिंह सहित शासकों द्वारा दर्ज किया गया, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नानुसार प्रावधान किया गया है:-

“अनुच्छेद VI

(1) प्रत्येक संविदाकारी राज्य का शासक, जितनी जल्दी संभव हो सके, और किसी भी घटना में 20 अगस्त, 1948 से पहले, अपने राज्य का प्रशासन राज प्रमुख को सौंप देगा और उसके बाद-

(ए) शासक से संबंधित सभी अधिकार, अधिकार और क्षेत्राधिकार, जो अनुबंधित राज्य की सरकार से संबंधित हैं, या प्रासंगिक हैं, संघ में निहित होंगे और इसके बाद केवल इस अनुबंध या इसके तहत बनाए जाने वाले संविधान द्वारा प्रदान किए गए अनुसार ही प्रयोग किए जा सकेंगे। .

(बी) संविदाकारी राज्य की सरकार से संबंधित या उसके आनुषंगिक शासकों के सभी कर्तव्य और दायित्व संघ को सौंप दिए जाएंगे और उसके द्वारा उनका निर्वहन किया जाएगा;

(सी) संविदाकारी राज्य की सभी संपत्तियां और देनदारियां संघ की संपत्तियां और देनदारियां होंगी; और

(डी) संविदाकारी राज्य के सैन्य बल, यदि कोई हों, संघ के सैन्य बल बन जाएंगे।

…… …

अनुच्छेद XII

(1) प्रत्येक संविदाकारी राज्य का शासक उस राज्य का प्रशासन राज प्रमुख को सौंपने की तिथि पर उससे संबंधित सभी निजी संपत्तियों (राज्य संपत्तियों से अलग) के पूर्ण स्वामित्व, उपयोग और आनंद का हकदार होगा। .

(2) वह 20 सितंबर 1948 से पहले राज प्रमुख को निजी संपत्ति के रूप में उनके द्वारा रखी गई सभी अचल संपत्तियों, प्रतिभूतियों और नकद शेष की सूची प्रस्तुत करेगा।

(3) यदि कोई विवाद उठता है कि क्या संपत्ति की कोई वस्तु शासक की निजी संपत्ति है या राज्य की संपत्ति है, तो इसे ऐसे व्यक्ति के पास भेजा जाएगा जिसे भारत सरकार राजप्रमुख के परामर्श से नामित करेगी और उस व्यक्ति का निर्णय होगा सभी संबंधित पक्षों पर अंतिम और बाध्यकारी होगा। बशर्ते कि ऐसा कोई भी विवाद 31 दिसंबर, 1948 के बाद संदर्भित नहीं किया जाएगा।

…… …

अनुच्छेद XIV

(1) कानून और प्रथा के अनुसार, प्रत्येक संविदाकारी राज्य की गद्दी और उसके शासक के व्यक्तिगत अधिकारों, विशेषाधिकारों, गरिमाओं और उपाधियों के उत्तराधिकार की गारंटी दी जाती है।

(2) एक संविदाकारी राज्य के संबंध में विवादित उत्तराधिकार का प्रत्येक प्रश्न, जो संघ के उद्घाटन के बाद उठता है, उसे संघ के उच्च न्यायालय के सभी उपलब्ध न्यायाधीशों की एक पीठ को संदर्भित करने के बाद शासकों की परिषद द्वारा तय किया जाएगा। ऐसी पीठ द्वारा दी गई राय के अनुसार।

संघ द्वारा या उसके अधिकार के तहत कोई जांच नहीं की जाएगी, और संघ के किसी भी न्यायालय में अनुबंधित राज्य के शासक के खिलाफ, चाहे व्यक्तिगत क्षमता में या अन्यथा, किए गए या छोड़े गए किसी भी कार्य के संबंध में कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी। उस राज्य के प्रशासन की अवधि के दौरान उसके द्वारा या उसके अधिकार के तहत किया गया।"

अनुबंध की अनुसूची- I में प्रिवी पर्स की राशि निर्धारित की गई और फरीदकोट के संबंध में राशि 3,81,400/- रुपये थी।

4. उस समय के आसपास दर्ज की गई अन्य संविदाओं की तरह, राज्य का प्रशासन और तत्कालीन शासक के अधिकार, प्राधिकार और अधिकार क्षेत्र, जो संविदाकारी राज्य की सरकार से संबंधित या उसके लिए प्रासंगिक थे, संघ में निहित थे। संबंधित शासक निर्दिष्ट निजी संपत्तियों के पूर्ण स्वामित्व, उपयोग और आनंद का हकदार था। हालाँकि, प्रत्येक संविदाकारी राज्य की गद्दी का उत्तराधिकार और व्यक्तिगत अधिकार, गरिमा और उपाधियाँ कानून और रीति-रिवाज के अनुसार होंगी; और अनुच्छेद XIV ने ऐसे उत्तराधिकार की गारंटी दी।

5. हालाँकि, वाचा के अनुच्छेद VI के अनुसार, राज्य का प्रशासन खत्म कर दिया गया था और शासक से संबंधित सभी अधिकार, अधिकार और क्षेत्राधिकार भारत संघ में निहित हो गए थे। 18.08.1948 को राजा द्वारा "राजा फरीदकोट एस्टेट अधिनियम, 1948" अधिनियमित किया गया था, जिसमें घोषणा की गई थी कि उक्त शासक की संपत्ति उसके पुरुष उत्तराधिकारी को हस्तांतरित हो जाएगी।

6. वर्तमान मामलों में, हम उन संपत्तियों के उत्तराधिकार से चिंतित हैं जिन्हें अनुबंध में निजी संपत्तियों के रूप में दिखाया गया था। राजा हरिंदर सिंह को तीन बेटियों और टिक्का हरमोहिंदर सिंह नाम के एक बेटे का आशीर्वाद मिला, जो दुर्भाग्य से बिना किसी उत्तराधिकारी या प्रतिनिधि के राजा हरिंदर सिंह की मृत्यु हो गई।

7. राजा हरिंदर सिंह (बाद में 'शासक' के रूप में संदर्भित) ने विलय पूरा होने के तुरंत बाद एक वसीयत निष्पादित की। वसीयत 11.03.1950 को निष्पादित की गई थी। इस वसीयत (इसके बाद 'पहली वसीयत' के रूप में संदर्भित) में कुछ बैंक खातों और उन खातों में पड़ी राशि के साथ-साथ दिल्ली के रोहतक रोड पर चार फ्लैटों को निर्दिष्ट किया गया था, और उक्त निर्दिष्ट संपत्तियों को तीनों बेटियों को समान शेयरों में देने की मांग की गई थी।

8. शासक ने 22.05.1952 को दूसरी वसीयत निष्पादित की, जो फिर से उन संपत्तियों से संबंधित थी जो पहली वसीयत में निर्दिष्ट थीं। हालाँकि, इसमें कहा गया है कि वसीयतकर्ता सबसे बड़ी बेटी राजकुमारी अमृत कौर के पक्ष में कोई संपत्ति नहीं छोड़ना चाहता था। इसमें कुछ संपत्तियों को निर्दिष्ट किया गया था और कहा गया था कि संपत्तियां अन्य दो बेटियों, राजकुमारी दीपिंदर कौर और राजकुमारी महीपिंदर कौर को समान शेयरों में हस्तांतरित की जाएंगी। ऐसा प्रतीत होता है कि सबसे बड़ी बेटी ने पिता की इच्छा के विरुद्ध विवाह किया था, शायद यही कारण था कि उक्त विवरण को दूसरी वसीयत में स्थान दिया गया।

9. इसके तीन साल बाद, 01.04.1955 को शासक द्वारा लंदन में एक पंजीकृत समझौता निष्पादित किया गया, जो ग्रिंडलेज़ बैंक लिमिटेड, लंदन में रखे गए कुछ बैंक खातों से संबंधित था। हालाँकि, इस समझौते में कहा गया है कि सबसे बड़ी बेटी राजकुमारी अमृत कौर 25 वर्ष की आयु प्राप्त करने या न्यायिक रूप से अपने पति से अलग होने तक आय का कोई भी हिस्सा प्राप्त करने की हकदार नहीं होगी। इस प्रकार, दूसरी वसीयत के विपरीत, दिनांक 01.04.1955 के समझौते ने सबसे बड़ी बेटी को विरासत से बेदखल नहीं किया था।

10. उपरोक्त तीन दस्तावेजों को हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 के अधिनियमन से पहले निष्पादित किया गया था, जिसकी धारा 5 अधिनियम निम्नलिखित प्रभाव के लिए है: -

“5. अधिनियम का कतिपय संपत्तियों पर लागू न होना.

यह अधिनियम इन पर लागू नहीं होगा-

(i) कोई भी संपत्ति उत्तराधिकार जिसका विनियमन विशेष विवाह अधिनियम, 1954 (1954 का 43) की धारा 21 में निहित प्रावधानों के कारण भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 (1925 का 39) द्वारा किया जाता है;

(ii) कोई भी संपत्ति जो किसी भी भारतीय राज्य के शासक द्वारा भारत सरकार के साथ किए गए किसी अनुबंध या समझौते की शर्तों या इस अधिनियम के शुरू होने से पहले पारित किसी अधिनियम की शर्तों के तहत एकल उत्तराधिकारी के पास आती है;

(iii) कोचीन के महाराजा द्वारा प्रख्यापित 29 जून, 1949 की उद्घोषणा (1124 का IX) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के कारण पैलेस एडमिनिस्ट्रेशन बोर्ड द्वारा प्रशासित वलियम्मा थंपुरन कोविलगम एस्टेट और पैलेस फंड।

11. शासक की मृत्यु 16.10.1989 को हुई और 26.10.1989 को आयोजित भोग समारोह के दौरान, कथित तौर पर शासक द्वारा निष्पादित 01.06.1982 की तीसरी वसीयत पढ़ी गई और उक्त तीसरी वसीयत की एक प्रति सबसे बड़ी बेटी को सौंप दी गई। राजकुमारी अमृत कौर. कथित तौर पर जब तीसरी वसीयत निष्पादित की गई, तब तक शासक का एकमात्र पुत्र 13.10.1981 को पहले ही समाप्त हो चुका था। तीसरी वसीयत में कथित तौर पर घोषणा की गई कि शासक द्वारा छोड़ी गई पूरी संपत्ति "महरवाल खेवाजी ट्रस्ट" (संक्षेप में

'ट्रस्ट') नामक एक ट्रस्ट को विरासत में मिलेगी, जिसके ट्रस्टी राजकुमारी दीपिंदर कौर और राजकुमारी महीपिंदर कौर होंगी। शासक की निजी संपत्ति जिसे "फरीदकोट की महामहिम व्यक्तिगत संपत्ति" के रूप में जाना जाता है, के प्रशासन बोर्ड के सेवारत सदस्य और महारानी मोहिंदर कौर के परिवार का एक सदस्य आदि। दस्तावेज़ में न्यासी बोर्ड के कामकाज से भी निपटा गया और कुछ शर्तें निर्धारित की गईं।

12. शासक के छोटे भाई कंवर मंजीत इंदर सिंह ने सिविल मुकदमा दायर किया, जिसे बाद में सिविल सूट संख्या 4193/21-08-2010 के रूप में पुनः क्रमांकित किया गया, जिसमें अन्य बातों के अलावा दावा किया गया कि वंशानुक्रम के नियम के अनुसार कंवर मंजीत इंदर सिंह छोड़ी गई संपत्ति के हकदार थे। शासक के पीछे.

सबसे बड़ी बेटी राजकुमारी अमृत कौर, जिन्हें दिनांक 01.06.1982 की तीसरी वसीयत के अनुसार संपत्ति में कोई ब्याज या हिस्सा नहीं दिया गया था, ने भी सिविल मुकदमा दायर किया, जिसे बाद में सिविल सूट संख्या 473/23-7-2010 के रूप में पुनः क्रमांकित किया गया। . जैसा कि शुरू में दायर किया गया था, मुकदमे में घोषणा की डिक्री की मांग की गई थी कि वादी-राजकुमारी अमृत कौर अपनी दो बहनों के साथ संयुक्त कब्जे की परिणामी राहत के साथ शासक द्वारा छोड़ी गई संपत्तियों में 1/3 हिस्सेदारी की मालिक थी। उनकी दो बहनों के अलावा, ट्रस्ट और उसके ट्रस्टी भी मुकदमे में पक्षकार थे। दिनांक 18.11.1993 के एक आवेदन द्वारा वादपत्र में संशोधन की मांग की गई थी जिसमें घोषणा के डिक्री के संबंध में राहत शामिल की गई थी कि शासक द्वारा निष्पादित दिनांक 01.06.1982 की कथित तीसरी वसीयत अमान्य, शून्य और अप्रवर्तनीय थी।

ट्रस्ट और वादी की दो बहनों की ओर से एक सामान्य लिखित बयान दायर किया गया था।

13. दोनों मुकदमों को एक साथ लिया गया और ट्रायल कोर्ट ने विचार के लिए निम्नलिखित मुद्दे तय किए: -

1. क्या वादी हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों के तहत प्रतिवादी नंबर 1 और 2 के मृतक की बेटियां होने के साथ मुकदमे की संपत्ति के 1/3 हिस्से की सीमा तक सफल होने का हकदार है और वादी इस प्रकार 1/3 का मालिक है मुकदमे की संपत्ति का हिस्सा? ऑप

2. क्या वैकल्पिक रूप से, वादी सबसे बड़ी जीवित संतान होने के नाते अपने पिता की पूरी संपत्ति पर उत्तराधिकार पाने की हकदार है? ऑप

3. क्या वैकल्पिक रूप से, वादी सबसे वरिष्ठ जीवित संतान होने के नाते फरीदकोट एस्टेट के राजा अधिनियम, 1948 (1948 का अधिनियम संख्या 5) के तहत एकमात्र मालिक के रूप में सफल होने का हकदार है? ऑप

4. क्या अनुबंध A1 में उल्लिखित संपत्ति संयुक्त परिवार और पैतृक सहदायिक संपत्ति है और स्वर्गीय राजा हरिंदर सिंह को किसी भी तरह से अलग करने का कोई अधिकार नहीं था? ऑप

5. क्या राजा हरिंदर सिंह हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम द्वारा शासित थे, जिसने रीति-रिवाजों को निरस्त कर दिया था और वादी और प्रतिवादी नंबर 1 और 2 को हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार समान हिस्से में विवाद में संपत्ति विरासत में मिली थी और वादी 1/3 हिस्से का मालिक बन गया था उपयुक्त संपत्ति? ऑप

6. क्या फरीदकोट के दिवंगत राजा हरिंदर सिंह ने 1-6-1982 को वैध वसीयत निष्पादित की थी? यदि हाँ, तो इसका प्रभाव क्या है? ओपीडी

7. क्या मृतक राजा हरिंदर सिंह ने वादी और प्रतिवादी नंबर 1 और मृतक प्रतिवादी नंबर 2 के एकमात्र लाभार्थी होने के साथ फरीदकोट रूलिंग फैमिली हाउसिंग ट्रस्ट के नाम से जाना जाने वाला एक वैध ट्रस्ट निष्पादित किया था? यदि हाँ, तो इसका प्रभाव क्या है? ओपीडी

8. क्या प्रतिवादी उस अवधि के लिए हिसाब देने के लिए उत्तरदायी हैं, जब वे दिवंगत राजा हरिंदर सिंह द्वारा छोड़ी गई संपत्तियों का प्रबंधन कर रहे थे और उनसे आय प्राप्त कर रहे थे? ओपीडी

9. क्या पार्टियों के नॉन-जॉइंडर या मिसजॉइंडर के लिए मुकदमा खराब है? यदि हाँ, तो इसका प्रभाव क्या है? ओपीडी

10. क्या मुकदमा न्यायालय शुल्क और क्षेत्राधिकार के प्रयोजन के लिए मूल्यवान संपत्ति नहीं है? यदि हाँ, तो इसका प्रभाव क्या है? ओपीडी

11. क्या इस न्यायालय के पास मुकदमे की सुनवाई का कोई क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार नहीं है? ओपीडी

12. क्या "महारवाल खेवाजी ट्रस्ट" के नाम से जाना जाने वाला ट्रस्ट एक वैध कानूनी इकाई है? यदि हाँ, तो इसका प्रभाव क्या है? ओपीडी

13. क्या राजा हरिंदर सिंह और प्रतिवादी नंबर 6 कंवर मंजीत इंदर सिंह का परिवार विरासत और उत्तराधिकार के मामलों में वंशानुक्रम के नियम द्वारा शासित होता है और प्रथा के अनुसार पुरुष वंशावली संतान की अनुपस्थिति में, भाई संपत्ति का उत्तराधिकारी होता है? ओपीडी-6.

14. क्या कंवर मंजीत इंदर सिंह प्रतिवादी नंबर 6 को ज्येष्ठाधिकार के कानून के तहत स्वर्गीय राजा हरिंदर सिंह की सभी अचल और चल संपत्ति विरासत में मिली? ओपीडी-6.

15. क्या पेप्सू की संविदाओं के अनुच्छेद 14 के अनुसार, जिस पर स्वर्गीय राजा हरिंदर सिंह हस्ताक्षरकर्ता थे, उत्तराधिकार कानून और रीति-रिवाज के अनुसार प्रत्येक संविदाकारी राज्यों की गद्दी की गारंटी थी और जिसके अनुसार प्रथा के तहत वादी विरासत का हकदार है ज्येष्ठाधिकार के नियम के तहत राजा हरिंदर सिंह की संपत्ति और महिला उत्तराधिकारियों को ज्येष्ठाधिकार के रीति-रिवाज और नियम के अनुसार स्वर्गीय राजा हरिंदर सिंह की संपत्ति में उत्तराधिकार का कोई अधिकार नहीं है? ओपीडी-6.

16. राहत।

14. ट्रायल कोर्ट ने अपने फैसले और आदेश दिनांक 25.07.2013 द्वारा दोनों मुकदमों का निपटारा कर दिया। ट्रायल कोर्ट द्वारा उठाया गया मुख्य प्रश्न तीसरी वसीयत की वैधता के बारे में था और संपूर्ण साक्ष्यों पर विचार करने के बाद, ट्रायल कोर्ट ने पाया कि बड़ी संख्या में संदिग्ध परिस्थितियों के कारण तीसरी वसीयत वास्तविक दस्तावेज नहीं है, जो व्यक्तिगत रूप से भी थी। ट्रायल कोर्ट द्वारा निपटाया गया। ट्रायल कोर्ट ने तब विचार किया कि क्या वंशानुक्रम का नियम शासक द्वारा छोड़ी गई संपत्तियों पर लागू होगा या क्या हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 के प्रावधान लागू होंगे। कंवर मंजीत इंदर सिंह द्वारा लगाए गए मामले को स्वीकार नहीं किया गया लेकिन राजकुमारी अमृत कौर द्वारा किए गए दावे को स्वीकार कर लिया गया। ट्रायल कोर्ट द्वारा निकाला गया निष्कर्ष इस प्रकार था: -

“91. उपरोक्त मुद्दों पर मेरी उपरोक्त चर्चा के परिणामस्वरूप, वादी राज कुमारी अमृत कौर का मुकदमा आंशिक रूप से खारिज कर दिया गया है और आंशिक रूप से लागत के साथ डिक्री की गई है और दिनांक 1-6-1982 की वसीयत को शून्य और शून्य घोषित किया गया है, जो उस पर बाध्यकारी नहीं है। वादी अमृत कौर के अधिकार. वादी अमृत कौर प्रतिवादी नंबर 1 महारानी दीपिंदर कौर के साथ 1/2 (आधा) शेयर की

सीमा तक संयुक्त कब्जे की हकदार है, क्योंकि संपत्ति पूरी तरह से विस्तृत है और अनुबंध ए 1 में वर्णित है, उन संपत्तियों को छोड़कर जो किसी भी राज्य सरकार द्वारा अधिग्रहित की गई हैं। या केंद्र सरकार. जिस ट्रस्ट का गठन कथित वसीयत के आधार पर किया गया था, उसे अस्तित्वहीन घोषित किया जाता है। प्रतिवादियों को मुकदमे की संपत्ति को अलग करने, गिरवी रखने, स्थानांतरित करने, पट्टे पर देने, भार उठाने या विनिमय करने से भी रोका जाता है जैसा कि पूरी तरह से विस्तृत है और अनुबंध ए 1 में वर्णित है। अनुबंध A1 को डिक्री का हिस्सा माना जाएगा। वादी कंवर मंजीत इंदर सिंह द्वारा अपने कानूनी उत्तराधिकारी के माध्यम से चलाए जा रहे मुकदमे को लागत के संबंध में बिना किसी आदेश के खारिज कर दिया गया है। अलग-अलग डिक्री शीट तैयार की जाएं और इस फैसले की प्रति समेकित मुकदमे में रखी जाए। फाइल को रिकार्ड रूम में भेजा जाए। अनुपालन किया जाए।"

15. यह अवश्य बताया जाना चाहिए कि राजकुमारी महीपिंदर कौर की मृत्यु 26.07.2001 को हो गई थी, जब मामला अभी भी ट्रायल कोर्ट के समक्ष लंबित था। कहा गया कि राजकुमारी महीपिंदर कौर अविवाहित थीं और अपनी दो बहनों के अलावा कोई वारिस या उत्तराधिकारी छोड़े बिना उनकी मृत्यु हो गई, जो पहले से ही अदालत में थीं।

16. ट्रायल कोर्ट के फैसले से दुखी होकर, राजकुमारी दीपिंदर कौर, ट्रस्ट और अन्य ट्रस्टियों ने 2013 के सीए नंबर 1046 और 2017 के 480 दायर किए, जबकि कंवर मंजीत इंदर सिंह के बेटे भरत इंदर सिंह ने 2013 के सीए नंबर 1054 को प्राथमिकता दी और 1062/2013 अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, चंडीगढ़ की अदालत में।

कहा गया कि अपीलों को एक साथ सुना गया और निचली अपीलीय अदालत द्वारा दिनांक 05.02.2018 के एक सामान्य निर्णय द्वारा निपटारा किया गया, जिसमें ट्रायल कोर्ट द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्षों में हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं मिला। इसलिए, इसने संबंधित पक्षों द्वारा की गई अपीलों के साथ-साथ प्रतिवादों को भी खारिज कर दिया।

17. व्यथित पक्षों ने उच्च न्यायालय में 2018 के आरएसए नंबर 2006 (ओ एंड एम), 2018 के आरएसए नंबर 1418 (ओ एंड एम) और 2018 के आरएसए नंबर 2176 (ओ एंड एम) को प्राथमिकता दी, जिसे उच्च न्यायालय द्वारा निपटाया गया। इसका सामान्य निर्णय और आदेश, जो वर्तमान में चुनौती के अधीन है।

18. उच्च न्यायालय ने अपने समक्ष दायर अपीलों पर निर्णय लेने के लिए निम्नलिखित बिंदु बनाए।

"35. इन अपीलों में शामिल विवाद पर विचार-विमर्श करने से पहले, मैं अपीलों पर अंतिम निर्णय लेने के लिए निम्नलिखित बिंदुओं पर विचार करना चाहूंगा: -

(1) क्या फरीदकोट का राजा एस्टेट अधिनियम 1948 एक वैध अधिनियम है और वादी (राजकुमारी अमृत कौर) द्वारा राजा की संपत्ति के उत्तराधिकार के लिए लागू है?

(2) क्या मृतक राजा हरिंदर सिंह की संपत्ति के उत्तराधिकार में ज्येष्ठाधिकार का कानून लागू है?

(3) क्या राजा हरिंदर सिंह ने दिनांक 01.06.1982 को एक वैध वसीयत निष्पादित की थी और उसके तहत गठित महरवाल खेवाजी ट्रस्ट कानूनी रूप से गठित ट्रस्ट है?

(4) क्या सिविल सूट नंबर 4193 दिनांक 21.08.2010/04.04.1992 जिसका शीर्षक 'कंवर मंजीत इंदर सिंह थ्रू एलआर बनाम महारानी दीपिंदर कौर और अन्य' है, चलने योग्य है?

(5). क्या सिविल सूट संख्या 437 दिनांक 23.07.2010/15.10.1992 शीर्षक 'राजकुमारी अमृत कौर बनाम महारानी दीपिंदर कौर और अन्य' चलने योग्य है?

19. उच्च न्यायालय ने माना कि फरीदकोट के राजा का संपत्ति अधिनियम, 1948 एक वैध अधिनियम नहीं था और यह शासक की संपत्ति के उत्तराधिकार के लिए लागू नहीं होगा। यह भी माना गया कि कंवर मंजीत इंदर सिंह द्वारा प्रस्तुत ज्येष्ठाधिकार के नियम का वर्तमान मामले में कोई उपयोग नहीं है और शासक द्वारा छोड़ी गई संपत्तियों का उत्तराधिकार उत्तराधिकार के व्यक्तिगत कानून द्वारा शासित होगा। तीसरी वसीयत की वैधता के संबंध में सवाल पर, इस मामले पर आठ अलग-अलग शीर्षकों के तहत बड़े पैमाने पर विचार किया गया और यह निष्कर्ष निकाला गया कि तीसरी वसीयत एक मनगढ़ंत दस्तावेज था जो संदिग्ध परिस्थितियों से घिरा हुआ था और शासक द्वारा छोड़ी गई संपत्तियों का उत्तराधिकार होगा। इसलिए, निर्वसीयत उत्तराधिकार द्वारा हो। मुकदमे की रख-रखाव से संबंधित मुद्दों का निर्णय भी राजकुमारी अमृत कौर के पक्ष में किया गया।

20. ज्येष्ठाधिकार के नियम की प्रयोज्यता के मुद्दे पर, उच्च न्यायालय ने कहा:-

“78. अब इस निष्कर्ष पर आते हैं कि क्या मृतक राजा हरिंदर सिंह की संपत्ति के उत्तराधिकार में ज्येष्ठाधिकार का कानून लागू है, तो यह देखा जा सकता है कि 2018 के आरएसए नंबर 2176 में अपीलकर्ता ने संपत्ति को आकर्षित करने के लिए पैतृक संपत्ति होने का दावा किया है वंशानुक्रम का नियम, जो उनके अनुसार शासकों के मामले में अनुमानित धारणा पर मौजूद है। संपत्ति की पैतृक प्रकृति को उच्च न्यायालय के नियमों और आदेशों के खंड 1, अध्याय 9, नियम 5 और 6 की आवश्यकता के अनुसार और पैरा संख्या 232 के अनुसार केवल अंश (इंटेखाब)/वंशावली तालिका प्रस्तुत करके ही साबित किया जा सकता है। मुल्ला का कानून. गांव कैंबवाला, मौली जागरण और मनीमाजरा-किले में स्थित संपत्तियां जिन्हें सूरजगढ़ किला मनीमाजरा और सेक्टर 17, चंडीगढ़ में होटल साइट नंबर 12 के नाम से जाना जाता है, स्व-अर्जित संपत्ति साबित हुई हैं। वादी/अपीलकर्ता द्वारा यह दिखाने के दायित्व से मुक्त होने के लिए कोई सबूत नहीं दिया गया है कि संपत्तियाँ सामान्य पूर्वज से आई हैं और केवल वंश के नियम से आई हैं, अन्यथा नहीं। पीडब्लू-4 के रूप में उपस्थित होते समय अपीलकर्ता ने यह दिखाने के लिए कोई दस्तावेजी सबूत नहीं दिया है कि विचाराधीन संपत्तियां पैतृक संपत्ति हैं। फरीदकोट इस्टेट की गद्दी का उत्तराधिकार ब्रिटिश क्राउन की सर्वोपरिता के अधीन था। उत्तराधिकारी को केवल ब्रिटिशों द्वारा मान्यता दी जा रही थी और यह स्वचालित नहीं था, बल्कि यह ब्रिटिश क्राउन द्वारा अनुमोदन/मान्यता के अधीन था। वंशानुक्रम संहिताबद्ध कानून नहीं है। कथित प्रथा अर्थात वंशानुक्रम के नियम को साक्ष्य के माध्यम से प्रस्तुत और सिद्ध किया जाना चाहिए। जो व्यक्ति प्रथा/जंमेदारी के अस्तित्व पर भरोसा करता है, उसे सबसे सहज तरीके से न्यायालय की संतुष्टि के लिए इसे साबित करने की जिम्मेदारी निभानी होगी। इस प्रथा को सादृश्य द्वारा आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। विशिष्ट प्रथा को वाद-विवाद में आवश्यक विवरणों के संदर्भ में प्रस्तुत किया जाना चाहिए और उसके बाद दावा करने वाले पक्ष द्वारा ठोस और स्वीकार्य साक्ष्य के माध्यम से साबित किया जाना चाहिए।

79. विलय समझौते से पहले, संबंधित संपत्ति को स्वर्गीय राजा द्वारा संप्रभु के रूप में रखा गया था और राज्य और निजी संपत्तियों के बीच कोई अंतर नहीं था, क्योंकि संप्रभु सभी संपत्तियों का मालिक था। विलय समझौते और भारत के प्रभुत्व में प्रवेश के बाद, संपत्तियों को स्वर्गीय राजा द्वारा उनकी व्यक्तिगत संपत्तियों के रूप में चिह्नित किया गया था, जिसके लिए वह अनुबंध के तहत ऐसा करने में सक्षम थे। राजा द्वारा प्रस्तुत सूची में संपत्तियों को अपनी निजी संपत्तियों के रूप में अनुमोदित करने के बाद, वे राज्य की संपत्ति नहीं रह गईं। पैरा संख्या का संदर्भ लिया जा सकता है। रेवथिन्नल बालगोपाला वर्मा बनाम पद्मनाभ दास बाला राम वर्मा, 1993 अनुपूरक 1 एससीसी 233 का 61, 63, 64, 67 और 69।

80. फरीदकोट राज्य के भारत के प्रभुत्व में विलय पर, वंशानुक्रम का नियम, यदि कोई हो, राज्य के अधिनियम के कारण अस्तित्व में नहीं रहा। दिनांक 05.05.1948 की संविदा में, ऐसा कोई खंड/अनुच्छेद नहीं है जो वंशानुक्रम के कथित नियम को जारी रखने को मान्यता देता हो या इसकी गारंटी देता हो।

अनुबंध को श्वेत पत्र में पुन: प्रस्तुत किया गया है। वाचा के अनुच्छेद XII के अनुसार, प्रत्येक संविदाकारी राज्य का शासक राज्य की संपत्तियों से भिन्न सभी निजी संपत्तियों के पूर्ण स्वामित्व, उपयोग और आनंद का हकदार था, जो प्रशासन संभालने की तिथि पर उससे संबंधित थीं। राजप्रमुख को राज्य. अनुच्छेद XII के खंड 2 के अनुसार, प्रत्येक संधि राज्यों के शासक को 20.09.1948 से पहले राजप्रमुख को सभी अचल संपत्तियों, प्रतिभूतियों और नकद शेष की एक सूची प्रस्तुत करने की आवश्यकता थी। यह सूची शासक द्वारा निजी संपत्तियों के रूप में रखी गई अचल संपत्तियों, प्रतिभूतियों और नकदी शेष के संदर्भ में है। राजप्रमुख द्वारा सूची के अनुमोदन पर, शासक के हाथों में मौजूद संपत्ति उसकी पूर्ण संपत्ति बन जाती थी और वह अपनी संपत्तियों को अपनी इच्छानुसार तरीके से निपटाने का हकदार था। एक बार जब संपत्तियों को भारत सरकार को संप्रभुता सौंपने के बाद शासक द्वारा अपनी निजी संपत्तियों के रूप में रखा जाता है, तो अनुबंध के अनुसार, उसके पास मौजूद संपत्तियां उसकी निजी संपत्तियां होती हैं और शाही परिवार के अन्य सदस्यों का कोई दावा नहीं होता है। पैरा संख्या का संदर्भ लिया जा सकता है। रेवथिन्नल बालगोपाला वर्मा बनाम पद्मनाभ दासा बाला राम वर्मा 1993 सप्लीमेंट 1 एससीसी 233 का 69 और 81 से 86।

81. राजप्रमुख द्वारा सूची प्रस्तुत करने और उसके अनुमोदन के बाद, राजा ने मुकदमे की संपत्तियों को अपनी निजी और व्यक्तिगत संपत्ति माना, जो कर अधिकारियों के समक्ष उनके द्वारा प्रस्तुत किए गए विभिन्न कर रिटर्न से स्पष्ट है, उन्होंने दावा किया कि मुकदमा संपत्तियां उनकी हैं। पूर्व की दृष्टि से व्यक्तिगत संपत्तियाँ। डी3/22 से पूर्व. डी3/36. शासक द्वारा किया गया अनुबंध दो संप्रभुओं के बीच राज्य का एक अधिनियम है। किसी नए राज्य के किसी भी नागरिक द्वारा न्यायालय में कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती। नई व्यवस्था में, निवासी अपने साथ वे अधिकार नहीं रखते हैं जो उन्हें पूर्व-संप्रभु की प्रजा के रूप में प्राप्त थे और नए संप्रभु की प्रजा के रूप में, उनके पास केवल वही अधिकार हैं जो उसके द्वारा गारंटीकृत या मान्यता प्राप्त हैं। पैरा संख्या का संदर्भ लिया जा सकता है। डालमिया दादरी सीमेंट लिमिटेड बनाम आयकर आयुक्त, एआईआर 1958 एससी 816 का 11, 13 और 14 ।

82. हिंदू अविभाजित परिवार की अचल संपत्ति, यदि कोई हो, शासक द्वारा दर्ज किए गए अनुबंध से पहले मौजूद थी, राज्य के एक अधिनियम के कारण गायब हो गई। पूर्व पटियाला राज्य के क्षेत्रों का भारत के क्षेत्रों में विलय हो गया है और सभी संयुक्त हिंदू परिवार की संपत्ति/अतुलनीय संपत्ति, जो विलय से पहले मौजूद थी, राज्य के अधिनियम के कारण अस्तित्व में नहीं रह गई है। शासक को निजी संपत्तियों का अनुदान राज्य का एक अधिनियम था और ऐसी संपत्तियां पहले के चरित्र को बरकरार नहीं रख सकतीं जो शासक द्वारा भारत सरकार के साथ अनुबंध में प्रवेश करने से पहले थी। भारत के प्रभुत्व में विलय के कारण संपत्ति की निष्पक्षता समाप्त हो गई और इसलिए, भारत के प्रभुत्व के साथ फरीदकोट राज्य के विलय के कारण वंशानुक्रम का नियम, यदि कोई हो, अस्तित्व में नहीं रहा। अनुबंध के तहत गारंटी केवल गद्दी के उत्तराधिकार के संबंध में थी, निजी संपत्तियों के लिए नहीं। पूर्व शासक की निजी संपत्तियों का अधिकार ऐसी निजी संपत्तियों के उत्तराधिकार के व्यक्तिगत कानून पर निर्भर करता है।

83. संविदा के अनुच्छेद XIV ने केवल "गद्दी" के उत्तराधिकार को मान्यता दी, न कि निजी संपत्तियों को, जैसा कि संविदा के अनुच्छेद XII में अनुमोदित है। गद्दी और निजी संपत्तियाँ दो अलग-अलग अर्थ हैं और यह नहीं कहा जा सकता कि गद्दी में किसी भी तरह से निजी संपत्तियाँ शामिल थीं। प्रसंविदा के अनुच्छेद XIV के खंड I में निर्धारित किया गया है कि कानून और रीति-रिवाज के अनुसार, प्रत्येक प्रसंविदा वाले राज्य की गद्दी और उसके शासक के व्यक्तिगत अधिकारों, विशेषाधिकारों, गरिमाओं और उपाधियों के उत्तराधिकार की गारंटी दी जाती है। अनुच्छेद XIV किसी भी तरह से निजी संपत्तियों को आश्वासन और गारंटी नहीं देता है। कानून और रीति-रिवाज के अनुसार उत्तराधिकार के संबंध में गारंटी प्रत्येक संविदाकारी

राज्य के गद्दी को और उसके पूर्व शासकों को व्यक्तिगत अधिकार, विशेषाधिकार, सम्मान और उपाधि दी जाती है। कानून और रीति-रिवाज के अनुसार निजी संपत्तियों के उत्तराधिकार के संबंध में कोई गारंटी नहीं है। सरकार ने कभी भी शासक की निजी संपत्ति के कानून और रीति-रिवाज के अनुसार उत्तराधिकार की गारंटी नहीं दी, जिसे वह राजप्रमुख को सूची सौंपने के बाद अपने पास रखता था। भारत सरकार, राज्य मंत्रालय द्वारा 05.07.1948 को जारी भारत के राज्यों पर श्वेत पत्र का संदर्भ लिया जा सकता है। नए संविधान के तहत भारतीय राज्यों के भाग XI में "अधिकारों और विशेषाधिकारों के संबंध में गारंटी" शीर्षक और भाग VII "शासकों की निजी संपत्तियों का निपटान" के तहत यह दर्शाया जाएगा कि नामकरण श्वेत पत्र में परिलक्षित हुआ है, जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि पूर्व वाचा के अनुसार, शासक की निजी और राज्य संपत्ति के बीच कोई अंतर नहीं था। श्वेत पत्र में, यह उल्लेख किया गया है कि राज्यों के एकीकरण पर, शासक को निजी संपत्ति के रूप में उसके द्वारा दावा की गई अचल संपत्तियों, प्रतिभूतियों और नकद शेष आदि की सूची प्रस्तुत करने की आवश्यकता थी और उसी के अनुमोदन पर, शासक पूर्ण अधिकार का हकदार था। निजी संपत्तियों का स्वामित्व और उपभोग राज्य संपत्तियों से अलग है। भूतपूर्व शासक के निजी विशेषाधिकारों और उन विशेषाधिकारों का शासक की निजी संपत्ति से कोई लेना-देना नहीं है। गारंटी या आश्वासन शासक के व्यक्तिगत अधिकारों, विशेषाधिकारों और गरिमा के संबंध में है। इसका विस्तार व्यक्तिगत संपत्ति तक नहीं है जो शासक के व्यक्तिगत अधिकारों, विशेषाधिकारों और गरिमाओं से भिन्न है। इस संदर्भ में सुधांशु शेखर सिंह देव बनाम उड़ीसा राज्य, एआईआर 1961 एससी 196 (पांच जजों की बेंच) और बिहार राज्य बनाम सर कामेश्वर सिंह, एआईआर 1952 एससी 252 (पांच जजों की बेंच) के अनुपात का संदर्भ दिया जा सकता है। ।"

21. यहां यह बताया जाना चाहिए कि कंवर मंजीत इंदर सिंह ने अपने दावे के समर्थन में, शासक की मां महारानी मोहिंदर कौर द्वारा निष्पादित पंजीकृत वसीयत दिनांक 29.03.1990 (उदा. डी-10) पर भी भरोसा किया था। कुछ विशिष्ट संपत्तियों से निपटने के बाद, निम्नलिखित खंडों को उक्त वसीयत में जगह मिलती है।

"वसीयतकर्ता आगे चाहता है कि ब्रिटिश सरकार की आधी राशि कंवर मंजीत इंदर सिंह के पुत्र भरत इंदर सिंह को हस्तांतरित की जाएगी।

वसीयतकर्ता की उपरोक्त कुल संपत्ति में से बचा हुआ कोई भी अवशेष राजकुमारी देविंदर कौर को हस्तांतरित किया जाएगा।

…….. वसीयतकर्ता आगे निर्धारित करता है कि ऊपर उल्लिखित संपत्ति और सम्पदा के अलावा, कोई भी संपत्ति या संपदा इस वसीयत के निष्पादन के बाद उसके रास्ते में आती है या अन्यथा, उन आंशिक संपत्तियों या संपत्तियों को केवल (i) के बीच समान रूप से विभाजित किया जाना है।) कंवर मंजीत इंदर सिंह, (ii) राजकुमारी देविंदर कौर और (iii) कंवर भारत इंदर सिंह। वसीयतकर्ता पुत्र कंवर मंजीत इंदर सिंह के निधन की स्थिति में उनकी संपत्ति राजकुमारी देविंदर कौर और कंवर भरत सिंह के बीच समान रूप से विभाजित की जाएगी। वसीयतकर्ता स्पष्ट रूप से चाहता है कि राजकुमारी देविंदर कौर के निधन की स्थिति में उसका अधिकार राजकुमारी देविंदर कौर की नाबालिग बेटी हरविंदर कौर एलेक्जेंड्रा फरिनाकिस को हस्तांतरित हो जाएगा।

22. यह पाते हुए कि महारानी मोहिंदर कौर द्वारा निष्पादित वसीयत किसी भी संदेह से परे साबित हुई है और यह निष्कर्ष निकाला है कि शासक के पीछे छोड़ी गई संपत्तियों का उत्तराधिकार निर्वसीयत उत्तराधिकार के सिद्धांतों के अनुसार होगा, उच्च न्यायालय ने कहा: -

"237……ज्यादातर कानून के आधार पर मृतक राजा हरिंदर सिंह की संपत्ति और निजी संपत्तियों के उत्तराधिकार के संबंध में दावा खारिज कर दिया गया है, हालांकि अपीलकर्ता पंजीकृत के आधार पर दिवंगत महारानी मोहिंदर कौर की आनुपातिक हिस्सेदारी पाने में सफल होगा । वसीयत दिनांक 29.03.1990 को उनके द्वारा निष्पादित की गई। 16.10.1989 को राजा की मृत्यु के समय महारानी मोहिंदर कौर (राजा की मां) जीवित थीं और वह राजा के प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारियों में से एक होने के नाते स्वर्गीय राजा की संपत्ति/संपत्ति में हिस्सा लेने में सफल होतीं । इसलिए, 16.10.1989 को महारानी मोहिंदर कौर द्वारा कथित उत्तराधिकार/विरासत के आधार पर और उसके बाद 29.03.1990 की पूर्वोक्त वसीयत के आधार पर स्वर्गीय महारानी मोहिंदर कौर द्वारा अपीलकर्ता को प्रदत्त हिस्सेदारी की सीमा तक (पूर्व-डी-10) , अपीलकर्ता कानून के अनुसार राजा की संपत्ति में उक्त आनुपातिक हिस्सेदारी का उत्तराधिकारी होगा।

23. इन विशेष अनुमति याचिकाओं में नोटिस जारी करते हुए, अपने आदेश दिनांक 13.08.2020 द्वारा इस न्यायालय ने निर्देश दिया:

"आगे विचार करने तक, सभी पक्ष वर्तमान कार्यवाही में शामिल संपत्तियों के संबंध में यथास्थिति बनाए रखेंगे। आगे यह निर्देश दिया गया है कि महरवाल खेवाजी ट्रस्ट सुनवाई की अगली तारीख से पहले पिछले पांच वर्षों के खातों का विवरण दाखिल करेगा।

24. इसके बाद, 2020 के आईए नंबर 99377 से निपटने के दौरान ट्रस्ट द्वारा वेतन, करों के भुगतान के लिए अपने बैंक खातों को संचालित करने की अनुमति मांगी गई; ट्रस्ट की संपत्तियों की उपयोगिताओं और रखरखाव के लिए और ट्रस्ट द्वारा संचालित धर्मार्थ अस्पताल के खर्चों के लिए। ऐसे खातों और आवेदन में निर्धारित उद्देश्यों के बारे में विवरण निर्धारित करने के बाद, अपने आदेश दिनांक 16.10.2020 द्वारा, इस न्यायालय ने निर्देश दिया: -

"चूंकि ट्रस्ट द्वारा की गई गतिविधियां एक अस्पताल चलाने और अन्य परोपकारी कारणों की प्रकृति में हैं, इस स्तर पर, हम आवेदक ट्रस्ट को आवेदन के पैराग्राफ 12 में उल्लिखित खातों को सीरियल नंबर में उल्लिखित उद्देश्यों के लिए सख्ती से संचालित करने की अनुमति देते हैं। आवेदन के पैराग्राफ 8 में .2 से 7 तक।

इस प्रकार किए गए सभी खर्चों के साथ-साथ प्राप्त क्रेडिट का विवरण समय-समय पर रिकॉर्ड पर रखा जाएगा; पहली रिपोर्ट 30.10.2020 को या उससे पहले दर्ज की जाएगी; और उसके बाद दूसरी रिपोर्ट 30.11.2020 को या उससे पहले प्रस्तुत की जाएगी।

रजिस्ट्री को इस आदेश की एक प्रति पैराग्राफ 12 में उल्लिखित बैंकों को भेजने का निर्देश दिया गया है।

संबंधित बैंक प्रबंधकों को 01.06.2020 से 30.10.2020 की अवधि के लिए संबंधित खातों के संबंध में खातों का विवरण भेजने का भी निर्देश दिया गया है। विवरण इस न्यायालय को 10.11.2020 को या उससे पहले प्रस्तुत किया जाएगा। नवंबर 2020 महीने के संबंध में विवरण 05.12.2020 को या उससे पहले प्रस्तुत किया जाएगा।

25. 2020 की विशेष अनुमति याचिका (सी) संख्या 9151-9153 में, हमने राजकुमारी दीपिंदर कौर, ट्रस्ट और उसके ट्रस्टियों की ओर से विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मुकुल रोहतगी और श्री राकेश द्विवेदी को सुना है। श्री रोहतगी ने सूट के ढांचे और सीमा से संबंधित मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया। उनके प्रस्तुतीकरण में, संशोधित मुकदमा, विशिष्ट राहत अधिनियम, 1963 की धारा 34 के प्रावधानों से प्रभावित था और दावा पूरी तरह से कालातीत था। श्री द्विवेदी ने

तीसरी वसीयत की वैधता और विश्वसनीयता से संबंधित मामलों पर ध्यान केंद्रित किया और हमें रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्यों से अवगत कराया।

चूंकि अपीलकर्ताओं की ओर से पेश की गई दलीलों पर नीचे की तीनों अदालतों द्वारा व्यापक रूप से विचार किया गया था, इसलिए हमें नीचे की अदालतों द्वारा अपनाए गए समवर्ती दृष्टिकोण को परेशान करने का कोई कारण नहीं दिखता है। विशेष अनुमति याचिका (सी)सं. इसलिए, 2020 के 9151-9153 को लागत के संबंध में बिना किसी आदेश के खारिज कर दिया जाता है।

26. कंवर मंजीत इंदर सिंह के पुत्र भरत इंदर सिंह, श्री कृष्णन वेणुगोपाल द्वारा प्रस्तुत विशेष अनुमति याचिका (सी) संख्या 11206-11208 वर्ष 2020 में, याचिकाकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि वंशानुक्रम के नियम के अनुसार संपत्तियों को छोड़ दिया गया है शासक के पीछे पुरुष उत्तराधिकारी अर्थात् कुँवर मंजीत इंदर सिंह के हाथों में आना चाहिए, उसके बाद उनके पुत्र भरत इंदर सिंह। उच्च न्यायालय सहित नीचे की अदालतों द्वारा दिए गए विशिष्ट निष्कर्षों के मद्देनजर, हमारे विचार में, उक्त नियम के आधार पर वंशानुक्रम और उत्तराधिकार के नियम की प्रयोज्यता के लिए कोई मामला नहीं बनाया गया था। इसलिए, हमें इस संबंध में किसी भी चुनौती पर विचार करने का कोई कारण नहीं दिखता। 2020 की विशेष अनुमति याचिका (सी) संख्या 11206-11208, इस प्रकार किसी भी सार से रहित होने के कारण, लागत के संबंध में किसी भी आदेश के बिना खारिज कर दी जाती है।

27. अब हम राजकुमारी अमृत कौर द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका (सिविल) संख्या 2020 की 10211-10213 की ओर मुड़ते हैं। याचिका के समर्थन में उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री वी. गिरि ने महारानी मोहिंदर कौर द्वारा निष्पादित वसीयत के प्रभाव और उस संबंध में उच्च न्यायालय द्वारा निकाले गए निष्कर्षों के संबंध में निष्कर्षों की आलोचना करने की मांग की है। एक बार जब वसीयत साबित हो गई और वैध रूप से निष्पादित पाई गई, तो वसीयत में विशिष्ट खंडों के संदर्भ में, शासक द्वारा छोड़ी गई संपत्तियों में महारानी मोहिंदर कौर का हिस्सा स्वाभाविक रूप से वसीयतकर्ता द्वारा निष्पादित वसीयत द्वारा शासित होगा। इसलिए, उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निष्कर्ष पूरी तरह से उचित थे और इस संबंध में किसी भी चुनौती पर विचार करने का कोई कारण नहीं है। इसलिए, 2020 की विशेष अनुमति याचिका (सिविल) संख्या 10211-10213 को लागत के संबंध में बिना किसी आदेश के खारिज कर दिया जाता है।

---

28. याचिका में उठाई गई चुनौतियों से निपटने के बाद, हम निम्नानुसार निर्देश देते हैं: -

क) इस न्यायालय द्वारा जारी अंतरिम निर्देशों के अनुसार, इस न्यायालय में दर्ज सभी रिपोर्ट, खातों और अन्य दस्तावेजों को तुरंत इस न्यायालय की रजिस्ट्री द्वारा ट्रायल कोर्ट को भेजा जाएगा।

बी) ट्रस्ट केवल 30.09.2022 तक चैरिटेबल अस्पताल चलाने का हकदार होगा, उसके बाद रिसीवर की नियुक्ति की आवश्यकता सहित प्रबंधन, वित्त और अन्य नियंत्रण के सभी पहलू ऐसे आदेशों के अधीन होंगे जो न्यायालय द्वारा पारित किए जा सकते हैं। तात्कालिक मामलों में डिक्री का निष्पादन करना।

ग) ट्रस्ट और/या किसी अन्य व्यक्ति के हाथ में बाकी संपत्तियों को सभी संबंधितों द्वारा उसी रूप में बनाए रखा जाएगा, जब तक कि न्यायालय द्वारा तत्काल मामलों में पारित डिक्री को निष्पादित करते हुए उचित आदेश पारित नहीं किया जाता है।

घ) इन टिप्पणियों के साथ, विशेष अनुमति याचिकाओं का निपटारा किया जाता है।

BHANU PRATAP SINGH TYAGI
Digitally signed by BHANU PRATAP SINGH TYAGI
Date: 2023.11.09 19:03:25 +0530